



Neutral Citation No. 2026: AHC: 179560

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 30052/2026

अमित कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता : अनिल कुमार वर्मा

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया गया।

वर्तमान आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 163/2026, अंतर्गत धारा 310(2), 317(2), 61(2) बी.एन.एस., थाना-चेतगंज, जनपद-वाराणसी में संबंधित न्यायालय में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा अंतरस्थ हेतु उसे वर्तमान मामले में झूठा फँसाया गया है। वर्तमान प्राथमिकी घटना के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई है, जिसमें सूचनाकर्ता से ₹5 लाख की लूट किए जाने का आरोप है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से कोई संबंध नहीं है और उसने अभियोजन द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। यह भी आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के कब्जे से झूठी बरामदगी दर्शाई गई है तथा कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। इसी प्रकार के सह-आरोपी विजय यादव @ सिपाही तथा आकाश यादव को इसी पीठ द्वारा क्रमशः दिनांक 19.08.2026 और 13.08.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 28119/2026 तथा 27438/2026 में जमानत प्रदान की जा चुकी है। वर्तमान मामले को छोड़कर आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 06.07.2026 से जेल में निरुद्ध है। यह भी प्रस्तुत किया

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया है कि आवेदक यह वचन देता है कि यदि उसे जमानत की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा।

यह भी न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित रहने के कारण विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अभिलेख एवं साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा आरोपों की प्रकृति और दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के पश्चात, यह न्यायालय इस मत पर है कि आवेदक विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने का पात्र है।

तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

आवेदक- **अमित कुमार** को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा और न ही उन्हें धमकाएगा।
- (iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
- (iv) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा, जो उस अपराध के समान हो जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है अथवा जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
- (v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे किसी व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से विमुख हो या साक्ष्य से छेड़छाड़ करे।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि जमानतदारों की पहचान, हैसियत एवं निवास संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित किए जाने के बाद ही उन्हें स्वीकार किया जाए।

उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में विचारण न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।



यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत आवेदन के निस्तारण के उद्देश्य से पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर इन टिप्पणियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(जय प्रकाश तिवारी, न्यायमूर्ति)

अगस्त 25, 2026

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।